झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 02.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखण्ड के श्रीनगर ग्राम के लोग तिलैया जलाशय निर्माण में वर्ष–1951–52 में D.VC. के द्वारा चौपारण प्रखण्ड के हडाही तथा बहिमर को पूर्ण विस्थापित के बाद 1953 भारत के महामहिम श्री राजेन्द्र प्रसाद जी का आगमन बरही के पंचमाधव में आगमन हुआ था। महामहिम के आदेश से इन दोनों गाँव में श्रीनगर में बसा दिया गया है। इन्हें D.VC. के द्वारा कोई भी जमीन का पर्चा नहीं दिया गया क्योंकि वह जमीन का नेचर जंगल झाड़ लिखा हुआ है। जिसके कारण कोई सरकारी लाभ रैयतों का लाभ नहीं मिल पाता है तथा सरकार के द्वारा मालिकाना हक भी नहीं मिला है। अतः आपके माध्यम से सरकार को ध्यानाकर्षन कर रैयतो का जमीन का मालिकाना हक मिल सके।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
02-	श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0 श्री रामदास सोरेन स0वि0स0	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697, दिनांक- 15/03/2022 एवं प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक-82, दिनांक- 10/01/2023 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा आधारित स्तनातक प्रशिक्षित एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन होना है, जिस हेतु विषयवार TGT एवं PGT योग्यताधारियों के लिए रिक्तियों की सूची भी जारी किया गया है। परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि हिन्दी, अँग्रेजी, संस्कृत उर्दू, बंगला, ओड़िया विषय के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए है, परन्तु संताली भाषा को उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिला संथाल बहुल जिला है जहाँ संताली भाषा के संवर्धन हेतु संताली भाषा का पठन-पाठन होना आवश्यक है। अतः उद्धृत विषय पर संज्ञान लेते हुए रिक्तियों की सूची को रद्द कर संताली विषय को जोड़ते हुए नए सिरे से रिक्तियों की सूची निर्गत करने हेतु आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03-	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री जयप्रकाश भाई पटेल स0वि0स0	राज्य सरकार राज्य में एक ओर पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनायें चला रही है वही दूसरी ओर हजारीबाग स्थित कनहरी पहाड़ सरकार के उपेक्षा का दंश झेल रही है जबकि उक्त पहाड़ एक पर्यटन स्थल के रूप में वर्षो से विख्यात है तथा उक्त पहाड़ के चारों ओर जंगल होने के साथ-साथ उक्त जंगल में कई जंगली जानवर पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र रहा है जिसके कारण राज्य तथा राज्य के बाहर के पर्यटक लोक अक्सर पर्यटन स्थल घुमने आते है जिसके कारण स्थानीय लोगो को रोजगार के साथ-साथ सरकार को	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य

01.	02.	03.	04.
		राजस्व की प्राप्ति होती है। परन्तु सरकार द्वारा उक्त पर्यटन स्थल पर अबतक किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएँ नहीं दी गई है जिसके कारण पर्यटकों को आये-दिन काफी परेशानी होती है। साथ ही अगर सरकार उक्त पहाड़ पर रोप-वे के साथ-साथ उक्त पहाड़ के जंगल क्षेत्र को संरक्षित कर राँची स्थित बिरसा जैविक उद्यान के तर्ज पर विकसित करें तो उक्त स्थल पर्यटकों को और आकर्षित करेगा तथा सरकार को राजस्व की भी काफी प्राप्त होगी। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनहित एवं राज्यहित में उक्त मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा।	
04-	श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में हजारीबाग, कोडरमा के साथ-साथ सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन का मीटर नहीं लगाया गया है, मीटर लगाने का कार्य शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर मीटर के ही ग्रामीणों को बेहिसाब बिजली बिल दिया जा रहा है, जिसे भुगतान करने में उन्हें घोर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। अतः व्यापक लोकहित में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मीटर लगाने का कार्य व्यापक रूप से कराते हुए बगैर मीटर के दिये गये बिजली बिल एवं डी0पी0 को अविलंब माफ करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	ऊर्जा
05-	डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0	मै माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड का ध्यान जामताड़ा जिला अन्तर्गत जामताड़ा नगर पंचायत में क्रियान्वित कराई जा रही योजनाओं में व्याप्त वित्तीय अनियमितता, घटिया कार्य स्तर, भेदभाव पूर्ण रवैया, सरकारी राशि के दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।	नगर विका एवं आवास

01.	02.	03.	04.
		उदाहरण स्वरूप नगर पंचायत जामताड़ा अन्तर्गतः- 1- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के चयन में भारी अनियमितता बरती गई है, अयोग्य को आवास दे दिया गया है, जबकि गरीब को इससे वंचित रखा गया है, जो जाँच का विषय है। 2- लक्ष्य से अधिक शहरी आवास योजना ले ली गई है, जिसके कारण 35% से अधिक आवास राशि के अभाव में अधूरे पड़े है, यह घोर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता है, इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई आवश्यक है। 3- सामग्रियों के खरीदारी, उदाहरण के लिए स्ट्रीट लाइट तथा डस्टबिन, बाजार दर से अधिक दर पर खरीद किया गया है। यह सरकारी राशि की बर्बादी है। 4- निर्माण कार्यो में जैसे चिल्ड्रन पार्क के निर्माण, पीसीसी रोड, नाली एवं एड निर्माण कार्य घटिया स्तर का हुा है, कार्य की गुणवत्त को नजरअंदाज कर संवेदक को राशि का भुगतान कर दिया गया है। इससे सरकारी राशि की बर्बादी हुई है। यह गंभीर मामला है। इसकी जाँच आवश्यक है। 5- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में घोर अनियमितता हुई है। जिस स्वयंसहायता समूह को इसे बनाने का जिम्मा दिया गया था, उनके द्वारा नियमों की घोर अनदेखी की गई है। घटिया कार्य किया गया है। सरकारी राशि की बर्बादी हुई है। जो जाँच का विषय है। 6- नगर पंचायत क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में जिन संवेदकों का चयन किया गया है उनमें पारदर्शिता तथा नियमों की अनदेखी के की गई है। यह गंभीर मामला है।	

कृ०पृ०उ०

02.	03.	04.
	7- नगर विकास विभाग के द्वारा चयनित योजनाओं के विपरित निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो जाँच का विषय है। 8-नगर पंचायत में कराये गये कार्यो का कई वर्षो से सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं हुआ है। उपर्युक्त स्थिति में मैं इस सदन के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्री नगर विकास विभाग एवं आवास का ध्यान उपरोक्त बिंदुओं पर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि विषय की गंभीरता को देखते हुए अविलंब जामताड़ा नगर पंचायत अन्तर्गत उक्त बिंदुओं पर जाँच हेतु एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए। जो अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर दें, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और दोषियों पर कार्रवाई हो।	

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-840/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/सचिव, पर्यटन,कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-840/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

01.03.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

01/03/23